फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री सन्तोष कुमार जैन, बी– 140, अशोक विहार, कर्मचारी कोलोनी, अलवर, मो0 9414706056
–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 24/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03.08.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( ) सू0अ0,05/2021/674–675 दिनांक 30.07.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 01.04.2021 सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को 05.04.2021 व इस अनुभाग को 06.04.2021 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन के बिंदु संख्या 01 से 08 तक की सूचना इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग की होने से सूचना चाही गई। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा जो सूचना दी गई वह प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड पत्रांक 527 दिनांक 15.06.2021 से उपलब्ध कराई जा चुकि है। प्रार्थी को जो सूचना उपलब्ध कराई गई। उसे प्रार्थी के संतुष्ठ नही होने पर प्रथम अपील इस अनुभाग को प्राप्त हुई। प्राप्त अपील के संबंध में प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग से अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में पुनः आरटीआई आवेदन का अवलोकन कर स्पष्ट व सटीक सूचना के साथ जवाब चाहा गया। इस क्रम में प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग से जरिये पत्रांक 579 दिनांक 29.07.2021 से जो सूचना प्राप्त हुई वह प्रार्थी को इस जवाब के साथ संलग्न कर प्रेषित की गई। अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन दिनांक 01.04.2021 के बिन्दु संख्या 01 से 08 तक की सूचना कार्यालय के अनुभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार वही सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हैं जो पहले से अभिलेखों में उपलब्ध हों, इस कार्यालय के पास अभिलेख पर जो सूचना थी वह प्रार्थी/अपीलार्थी को स्पष्ट व सटीक सूचना प्रेषित की गई हैं। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की	

रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 से 08 तक की सूचना कार्यालय के अनुभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार वही सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हैं जो पहले से अभिलेखों में उपलब्ध हों, इस कार्यालय के पास अभिलेख पर जो सूचना थी वह प्रार्थी/अपीलार्थी को स्पष्ट व सटीक सूचना प्रेषित किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)